

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/हैण्डपंप/19-20/

दिनांक : 23/7/19

परियोजना अधिकारी

28966-78

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर।

विषय : हैण्डपम्प निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 24361-69 दिनांक 17.06.2019 द्वारा हैण्डपम्प निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति इकाई लागत 0.80 लाख की जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नांकित स्थानों पर हैण्डपम्प निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कॉलम संख्या-7 में अंकित राशि की जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(राशि लाख रु. में)

क्र. स.	हैण्डपम्प का स्थान	ग्रा.पं.	पं.स.	प्रशा. स्वी. अनुसार लागत	तकनीकी स्वीकृति	
					क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सज्जनसिंह के घर के पास, रायला	पदराडा	सायरा	0.80	EE/PHED/ rural dn.udr/35/ 17.06.2019	0.99
2	भैरुजी का मथारा, शिकारी.	पदराडा	सायरा	0.80	EE/PHED/ rural dn.udr/36/ 17.06.2019	0.99
3	तेन्दुपत्ता ऑफिस के पास, देवला	गोगरुद	कोटडा	0.80	EE/PHED/ rural dn.udr/ 37/17.06.2019	0.99
4	भैरुजी स्थान, पांबा	विसमा	सायरा	0.80	EE/PHED/ rural dn.udr/38/ 17.06.2019	0.99
5	अंबामाता के पास, (लक्ष्मण /तारा के घर के पास) चित्रावास	चित्रावास	सायरा	0.80	EE/PHED/ rural dn.udr/39/ 17.06.2019	0.99
6	बागदडा गांव	छाली	गोगुन्दा	0.80	EE/PHED/ rural dn.udr/40/ 17.06.2019	0.99
7	चूल की महुडी, महुडी	पाटिया	गोगुन्दा	0.80	EE/PHED/ rural dn.udr/41/ 17.06.2019	0.99
				योग		6.93

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-18/2018-19 में पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि 660.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

शर्तें:-

- स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावें।
- समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
- योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।

5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जावे।
6. योजना में भू-जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्राप्त कर ट्यूबवेल वैधन किया जावे। ट्यूबवेल वैधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com में प्रेषित करें।
8. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(विकास सीतारामजी भाले) I.A.S.

आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/ 2 8966-78

दिनांक : 23/7/19

प्रतिलिपी :-

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त /ग्रामीण खण्ड उदयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-18/2018-19 में पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को राशि रु. 6.93 लाख हस्तांतरित करावे। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।
8. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)